



# देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

इन्दौर 452001

दूरभाष : 2523530

क्रमांक/प्रशासन/को.वा.सं./2021/344

दिनांक 03.04.2021

प्रति,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/विभाग प्रमुख  
समस्त अध्ययनशालाएं/संस्थानों  
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विषय :- कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में दिशा निर्देश।

सन्दर्भ :- गृह विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 35-09/2020/सी-2/दो, दिनांक 13  
मार्च, 2021, 19 मार्च, 2021, 22 मार्च, 2021 एवं 24 मार्च, 2021 एवं क्र. एफ  
35-09/2020/ दो/सी-2 भोपाल दिनांक 31 मार्च, 2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक प्रशासन/को.वा.सं./2021/325 दिनांक 26 मार्च, 2021 के परिपालन में 31 मार्च, 2021 को यथावत् प्रभावशील रखते हुए राज्य शासन के निर्देशानुसार दिनांक 15 अप्रैल, 2021 तक समस्त विश्वविद्यालय शिक्षण अध्ययनशालाओं में शिक्षण कार्य बंद रहेगा।

अतः यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे एवं आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ.क्रमांक/प्रशासन/को.वा.सं./2021/344

दिनांक 03.04.2021

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय, सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा इंदौर संभाग इंदौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी आई.टी. सेंटर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

उप कुलसचिव (प्रशासन)

सर्वोच्च प्राथमिकता

मध्यप्रदेश शासन  
गृह विभाग,  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 35-09/2020/दो/सी-2, भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2021  
प्रति,

समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  
म.प्र.

विषय :- कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक  
दिशा-निर्देश।

संदर्भ :- विभागीय समसंख्यक परिपत्र क्रमांक एफ 35-09/2020  
/सी-2/दो, दिनांक 13 मार्च, 2021, 16 मार्च, 2021, 19 मार्च,  
2021, 22 मार्च, 2021, 24 मार्च, 2021 एवं 26 मार्च, 2021

—00—

उपरोक्त संदर्भित निर्देश दिनांक 13 मार्च, 16 मार्च, 19 मार्च,  
22 मार्च, 24 मार्च एवं 26 मार्च 2021 को यथावत् प्रभावशील रखते हुए  
राज्य शासन द्वारा प्रदेश में कोविड की संख्या में विगत दिनों में हो रही  
बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए निम्न अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये  
जाते हैं :-

1. भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, बैतूल, छिन्दवाड़ा, खरगौन एवं रतलाम  
शहरों में दिनांक 15 अप्रैल, 2021 तक समस्त स्कूल/कॉलेज में  
शिक्षण बंद रहेगा।
2. महाराष्ट्र से आने वाली बसें तथा मध्यप्रदेश से महाराष्ट्र जाने वाली  
बसों का आवागमन दिनांक 15 अप्रैल, 2021 तक प्रतिबन्धित रखा  
जावे।

यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे एवं आगामी आदेश तक  
प्रभावशील रहेंगे।

(डॉ. राजेश राजेश)

अपर मुख्य सचिव  
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग